संख्या-85/2019/2625/71-1-2019-जी-71/2011टी0सी0

प्रेषक

डॉ0 रजनीश दुबे,
प्रमुख सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में

महानिदेशक,
चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण,
उ0प्र0, लखनऊ।

चिकित्सा शिक्षा अनुभाग-1 लखनऊ : दिनॉक 16 अक्टूबर, 2019

विषय:- प्रदेश के राजकीय मेडिकल कालेजों में कार्यरत जूनियर एवं सीनियर रेजीडेण्ट चिकित्सकों के वेतनमान में अभिवृद्धि/संशोधन के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या-422/71-3-2009-95/2008, दिनॉक 02.03.2009 के अनुक्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि इस विषय में सम्यक विचारोपरान्त राज्यपाल महोदय, प्रदेश के राजकीय मेडिकल एवं डेन्टल कालेजों तथा उनसे सम्बद्ध चिकित्सालयों में लागू रेजीडेन्सी योजना के अन्तर्गत कार्यरत जूनियर एवं सीनियर रेजीडेण्ट चिकित्सकों के लिये सातवें वेतन आयोग की संस्तुतियों के क्रम में निम्न तालिका के स्तम्भ-3 में अंकित, दिनॉक 01 जनवरी, 2016 से पूर्व के वेतनमानों के सादृश्य वेतन बैण्ड एवं ग्रेड पे के स्थान पर दिनॉक 01 जनवरी, 2016 से तालिका के स्तम्भ-5 में अंकित उच्चीकृत/पुनरीक्षित वेतनमान (मैट्रिक्स लेवल में) अनुमन्य किये जाने की सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैः-

क्र0	पदनाम	वर्तमान वेतनमान		प्रस्तावित वेतनमान (पुनरीक्षित वेतन मैट्रिक्स में)
		वेतन बैण्ड (रू0)	ग्रेड वेतन (रू0)	
1	2	3	4	5
1.	जूनियर रेजीडेन्ट्स प्रथम वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा)	रू0 15600-39100	5400/-	लेविल-10, रू0 56100-177500
2.	जूनियर रेजीडेन्ट्स द्वितीय वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा)	रू0 15600-39100	5400/-	लेविल-10, रू0 56100-177500
3.	जूनियर रेजीडेन्ट्स तृतीय वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री/ डिप्लोमा)	रू0 15600-39100	5400/-	लेविल-10, रू0 56100-177500
4.	सीनियर रेजीडेन्ट्स प्रथम वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री धारक)	रू0 15600-39100	6600/-	लेविल-11, रू0 67700-208700
5.	सीनियर रेजीडेन्ट्स द्वितीय वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री धारक)	रू0 15600-39100	6600/-	लेविल-11, रू0 67700-208700
6.	सीनियर रेजीडेन्ट्स तृतीय वर्ष (स्नातकोत्तर डिग्री धारक)	रू0 15600-39100	6600/-	लेविल-11, रू0 67700-208700

2- उक्त तालिका में जिन पदों के वेतनमान उच्चीकृत किए गए है, उन पदों पर कार्यरत पदधारकों का वेतन निर्धारण मूल नियम-22 के उप नियम (क) के खण्ड (2)(ग) के अन्तर्गत किया जायेगा।

3- चिकित्सालय परिसर में आवासीय सुविधा उपलब्ध होने के दृष्टिगत जूनियर/सीनियर रेजीडेण्ट को आवास किराया भत्ता (एच0आर0ए0) अनुमन्य नहीं होगा।

4- जूनियर/सीनियर रेजीडेण्ट को अन्य अनुमन्य भत्ते राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों पर देय होंगे।

5- यह आदेश वित्त विभाग के अशासकीय संख्या-ई-3-1334/दस-2019, दिनॉक 11 अक्टूबर, 2019 में प्राप्त उनकी सहमति से निर्गत किए जा रहे है।

भवदीय

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।

(डॉ0 रजनीश दुबे)
प्रमुख सचिव।

संख्या:- 85/2019/2625(1)/71-1-2019 तद्यदिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2. समस्त प्रधानाचार्य/वित्त नियंत्रक, राजकीय मेडिकल कालेज, उत्तर प्रदेश।
3. कोषाधिकारी, आगरा, कानपुर, इलाहाबाद, मेरठ, झॉसी, गोरखपुर, जालौन, कन्नौज, आजमगढ़, अम्बेडकर नगर, सहारनपुर, बॉदा तथा बदायूॅं।
4. वित्त (व्यय नियंत्रण), अनुभाग-3, वित्त (वेतन आयोग), अनुभाग-1/2
5. निदेशक, अधिष्ठान, पुनरीक्षण ब्यूरो, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन।
6. गार्ड फाइल।

आज्ञा से

(एस0 पी0 सिंह)
अनु सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।